

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक-7/ज01-108/08 - 566

प्रेषक,

मदन कुमार,
अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

पटना, दिनांक- 24/06/08

विषय:- F-2 एकरारनामा के अंतर्गत निविदाओं में सी0आई0, जी0आई0, डी0आई0, एम0एस0 पार्सप एवं इन पार्सपों के स्पेशल्स आदि के लिए Price Neutralization का लागू किये जाने के संबंध में।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 7/ज01-108/08- 558 दिनांक- 20.06.08 द्वारा सी0आई0, जी0आई0, डी0आई0, एम0एस0 पार्सप एवं इन पार्सपों के स्पेशल्स आदि के लिए Price Neutralization का अनुदेश जारी किया गया है। इस संकल्प के अनुपालन हेतु निम्नांकित बिन्दु स्पष्ट किया जाता है-

1. उपरोक्त संकल्प के प्रावधान गैर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु कराये जाने वाले एकरारनामा पर लागू नहीं किया जायेगा।
2. चालू योजनाओं में इस प्रावधान को लागू करने के पूर्व अब तक कराये गये कार्यों का अद्यतन मापी करा लिया जायेगा। अद्यतन मापी कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रमाणित मान्य होगा। अद्यतन मापी कराये जाने के उपरान्त ही भविष्य में कराये जाने वाले कार्यों पर Price Neutralization लागू होगा।
3. एकरारनामा की राशि जिस स्तर के पदाधिकारी की सक्षमता में है, उन्हीं पदाधिकारी द्वारा Price Neutralization की गणना का निस्तार किया जायेगा।
4. Price Neutralization एवं अन्य कारणों से यदि किसी योजना की स्वीकृत राशि में बढ़ोतरी होती है, तब ऐसी स्थिति में उस योजना के मुख्य अवयव का कार्य पूर्ण कराकर योजना चालू कराया जाय एवं योजना का व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित किया जाय। अगर विशेष परिस्थिति में स्वीकृत राशि में बढ़ोतरी आवश्यक प्रतीत हो तो इसकी पूर्वानुमति मुख्यालय से प्राप्त कर ही कार्य कराया जायेगा, और योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन भी उचित माध्यम से उपलब्ध कराये।

ज्ञापांक- 566

प्रतिलिपि- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, /सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

(मदन कुमार)
24/6/08

अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव

दिनांक:- 24/06/08

(मदन कुमार)
24/6/08

अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव